न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–26 / 2003 दायर दिनांक: 26.08.2003

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सितारा बानों पुत्री सुबराती खां हाल पत्नी अच्छु खां मुसलमान निवासी वार्ड नं. 11 नैनवां तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. छुट्टन बानों पुत्री सुबराती खां हाल पत्नी छुट्टन मोहम्द जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 12 नैनवां तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. फारूख अली आ0 बाबू अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 12 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
2. फातमा बेवा सुबराती खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 12 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)
3. शमीम बानों पुत्री सुबराती खां हाल पत्नी बाबू अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 12 नैनवां तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. भू–स्वामी जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 53,88,92ए,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

2. वादीगण के अभिभाषक श्री राजेश ठाकौर एडवोकेट।
3. प्रतिवादीगण की अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 25.02.2021

वाद पत्र दिनांक 26.03.2003 को दर्ज रजिस्टर किया गया। संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि कस्बा नैनवां तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 3556 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 3557 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 3558 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, ख.सं. 3559 रकबा 6 बिस्वा, ख. सं. 3561 रकबा 7 बिस्वा एवं ख.सं. 3562 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार सुबराती खां आ0 ईदे खां कौम मुसलमान साकिन नैनवां थे। जिनकी मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिनकी तीन पुत्रियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 शमीम बानों पैदा हुई। एवं प्रतिवादी संख्या 2 फातमा जीवित है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण फातमा एवं शमीम बानों ही मृतक सुबराती खां के वारिस है। यह कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण फातमा एवं समीम बानों ही सम्मिलित रूप से खातेदार कृषक की हैसियत से काश्त पर चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 शमीम बानों का हिस्सा 7/8 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 2 फातमा का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विधवा होने की वजह से मुस्लिम लॉ के अनुसार 1/8 है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 फातमा एवं शमीम बानों इसी हैसियत से सम्मिलित रूप से खातेदार कृषक के रूप में काबिज चले आ रहे है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 फारूख अली ने वादीगण की अज्ञानता में गुपचुप तरीके से अवैध एवं अनाधिकृत रूप से सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम खाते लगवा लिया जिसकी जानकारी वादीगण को नकले प्राप्त करने पर हुई। फारूख अली के नाम किया गया इन्द्राज अवैध एवं अनाधिकृत है। और प्रारम्भ से प्रभावशून्य वोईड है। यह कि प्रतिवादीगण अवैध इन्द्राज की आड़ में गत 10 योम से जबरन सम्पूर्ण भूमि से वादीगण को बेदखल करने एवं जबरन सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। यही वाद का कारण है। निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फातमा एवं शमीम बानों को सम्मिलित खातेदार कृषक घोषित किया जाकर फातमा का हिस्सा 1/8 दर्ज किया जावे एवं शेष हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 शमीम बानों के नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण फारूख अली का नाम जमाबन्दी एवं अन्या भू–राजस्व अभिलेखों में से हटाया जाकर तद्नुसार वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य दिलाया जावें एवं वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य दिलाया जावें। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी एवं नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4 दिनांक 17.06.2004 आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 26.06.2002 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के पूर्व के खातेदार आसामी सुबराती खां वल्द ईदे खां ने अपने जीवन काल में शरीयत के मुताबिक तहरीरी हिब्बानामा द्वारा अपनी गैर मनकुला जायदाद विवादग्रस्त भूमि और मकान अपनी बीबी प्रतिवादी संख्या 2 फातमा के पक्ष में निष्पादित कर बख्शीश करते हुए मालिक की हैसियत से उसे वास्तविक भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था। इसलिए स्व. सुबराती की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 फातमा ही विवादग्रस्त भूमि की तन्हा खातेदार आसामी शरह मुहम्मदी के अनुसार बन गयी थी। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 फातमा ने दिनांक 12.02.80 को जरिये रजिस्टर्ड बक्शीश नामा विवादित भूमि अपने नाती प्रतिवादी फारूख अली को बक्शीश कर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी फारूख अली ही विवादग्रस्त कृषि भूमि का तन्हा खातेदार आसामी है। और इसी हैसियत से निर्बाध रूप से दिनांक 12.02.80 से अब तक काबिज काश्त है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी फारूख अली के अतिरिक्त अन्य किसी को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में प्रदर्श ए 1 तहरी बाबत हिबा बहक बीबी फातमा, बख्शीश नामा प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3 प्रदर्श दिनांक 2.12.2020 , प्रदर्श–8 इकरार नामा प्रदर्श दिनांक 17.06.2004, प्रदर्श–6 रहन नामा जमीन कुवा प्रदर्श दिनांक 17.06.2004, प्रदर्श–8 बक्शीशनामा प्रदर्श दिनांक 2.12.2020, प्रदर्श–9 बैचान पत्र कुवा जमीन प्रदर्श दिनांक 2.12.2020, प्रदर्श ए 10 राजीनामा प्रदर्श दिनांक 2.12.2020 पेश किये।

वादपत्र में तनकीयात दिनांक 11.09.02 को कायम की गई जिसके बिन्दु निम्न हैः–

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 7/8 हिस्से के सहखातेदार आसामी की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हू। जिम्मे वादी
2. वादीगण घोषित हिस्से की भूमि पर [illegible] के अधिकारी है। जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3. आया स्व0 सुबराती ने विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बख्शीश कर दी थी और उसका वाद पर क्या असर है। प्रतिवादी

4. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 फातमा ने प्रतिवादी फारूख अली के पक्ष में बख्शीश कर दी थी। इसलिए फारूख अली अकेला खातेदार कृषक है। जिम्मे प्रतिवादी

5. आया हिबानामा व बख्शीशनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज करवाये बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। जिम्मे प्रतिवादी

6. आया दावा मियाद अन्दर है। वादी?

7. अनुतोष

वाद पत्र की सुनवाई में वादी, प्रतिवादी, गवाह साक्ष्य का उभयपक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान करते हुए कायम तनकीयात आधार पर मामले की सुनवाई की गई। वादीगण द्वारा खण्डनात्मक साक्ष्य रिजर्व रखे जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी के उपरान्त वादीगण को खण्डनात्मक साक्ष्य पेश करने के अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी में वकील वादीगण द्वारा बयान वादिया सितारा बानों पीडब्लू 1 दिनांक 17.06.2004, यासीन खां आ0 ईदे खां पीडब्लू 2 दिनांक 17.06.2004 दर्ज रिकार्ड किये गए। साक्ष्य प्रतिवादी में बयान प्रतिवादीया फातमा बानों/सुबराती खां डीडब्लू 1 दिनांक 10.06.2008, साक्ष्य प्रतिवादी फारूख अली आ0 बाबू अली की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र डीडब्लू 2 दिनांक 2.12.2.2020, शपथ पत्र गवाह साक्ष्य प्रतिवादी इनायत हुसैन आ0 रोशन खां डीडब्लू 3 दिनांक 2.12.2020, शपथ पत्र गवाह साक्ष्य प्रतिवादी बाबू अली आ0 अब्दूल रहमान डीडब्लू 4 दिनांक 2.12.2020 तथा शपथ पत्र गवाह साक्ष्य प्रतिवादी बाबूलाल आ0 देवचन्दा डीडब्लू 5 दिनांक 2.12.2020 दर्ज रिकार्ड किये गए। वकील वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.2020 वास्ते वादी संख्या 2 के खण्डनात्मक साक्ष्य पेश किये जाने को सुना गया तथा स्वीकार किया गया। जिसके अनुसरण में दिनांक 04.01.2021 को वकील वादी ने शपथ पत्र साक्ष्य वादी खण्डनात्मक पेश किया। बयान वादीया छुट्टन बानो पीडब्लू 3 दिनांक 06.01.2021 दर्ज रिकार्ड किये गए। वकील प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्लू 2007(1) आरजे पृष्ठ 298(ए), एआईआर 1973 पृष्ठ 105, आरआरडी 2001 पृष्ठ 330, गुजरात हाई कोर्ट एआईआर 1999 पेज 27, एससी हाफिजा बीबी बनाम शैख फारीद निर्णय दिनांक 5 मई 2011 डीबी पेश किये। वकील वादीया की ओर से न्यायिक दृष्टान्त/किताबें यथा आरएलडब्लू 1961 पेज 36, आरएलडब्लू 1954 पेज 574 से 577, डीएनजे 2016(3) राज0 पेज 1415, एआईआर 1962 एपी पेज 199, एआईआर 1995 इलाहाबाद पेज 333, निर्णय एसीजीएम साहब नैनवां दिनांक 25.01.2021 जिसमें एआईआर 1971 राज0 पेज 167 एवं विभिन्न हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया।

पत्रावली, वादपत्र, शपथ–पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं साक्ष्य गवाहों के बयानों का अवलोकन एवं मनन किया गया। चू कि प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि सुबराती खां ने उक्त भूमि [illegible] मुस्लिम कानून के अनुसार हिब्बानामा करने का अधिकार सुबराती खां को है। मुस्लिम कानून के आधार पर हिब्बानामा मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है। अतः हिब्बानामा लिखित होना, रजिस्टर्ड होना या रजिस्टर्ड ना होना आवश्यक नही है। सुबराती खां द्वारा किये गए हिब्बानामा का एकमात्र जीवित प्रत्यक्षदर्शी बाबूलाल आ0 देवचन्दा माली ने भी अपने बयानों में हिब्बानामा होने की बात को स्वीकार किया है। वकील वादीगण ने लिखित हिब्बानामा की सत्यता पर संदेह जाहिर किया है। लेकिन लिखित हिब्बानामा को खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः सक्षम न्यायालय में लिखित हिब्बानामा खारिज करवाये बिना वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्योराम
(श्योराम)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.03.12 11:46:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner